



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247]
No. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 1997/चैत्र 21, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 1997/CHAITRA 21, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का. आ. 322 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 की धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि फ्रांसीसी स्थापनाएं (कानूनों का अनुप्रयोग) आदेश, 1954 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए और उनके नियंत्रण के अधीन और आगामी आदेशों तक संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के संबंध में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के तहत राज्य सरकार की शक्तियां तथा कार्य पांडिचेरी के उप-राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग में लाई जाएंगी और निभाई जाएंगी।

[फा. सं. यू-11030/1/95-यू.टी.एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1997

S.O. 322 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the French Establishments (Application of Laws) Order, 1954 and subject to his control and until further orders, the powers and functions of the State Government under the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) shall, in relation to the Union Territory of Pondicherry, also be exercised and discharged by the Lieutenant Governor of Pondicherry.

[F. No. U-11030/1/95-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.